राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः– मुख्या/कार्मिक/प्रशा.सु./2020/128 दिनांकः 31.05.2020

आदेश

कोविड–19 (Covid–19) महामारी के मध्यनजर गृह(ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 31.05.2020 के द्वारा लॉकडाउन 5.0 (दिनांक 1 से 30 जून,2020) के कियान्वयन हेतु गाईडलाइन जारी की गई है ।

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाईन्स के कम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्यालय, समस्त आगार कार्यालय, कार्यशालाएं केन्द्रीय कार्यशालाएं, केन्द्रीय भंडार एवं टायर प्लान्ट में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी नियमित रुप से उपस्थित होकर कार्य करेगें ।
2. मुख्यालय/आगारों/ईकाइयो में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में अथवा कोरोना कन्टेन्मेंट जोन मे रहते है, के सम्बन्ध में संबंधित कार्यालय एवं कार्यशाला प्रभारी गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 31.05.2020 के आदेशानुसार उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे ।
3. कार्य स्थल पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा । चेहरे पर मास्क नहीं पहनना जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
4. कार्यस्थल पर थूकना निषिद्ध है एवं इसका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।
5. कार्यस्थल पर शराब, पान गुटका तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबन्धित है ।
6. कार्य स्थलों के प्रभारी द्वारा कार्मिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा कार्मिकों के लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्कनिंग, हैण्ड वॉश और सेनेटाईजर के प्रबन्ध किया जावे ।
8. कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार–बार सेनेटईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
9. सभी नियन्त्रक अधिकारी अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं के सुरक्षा के लिए उनके मोबाईल फोन पर **आरोग्य सेतु एप** को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगें ।
10. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 31.05.2020 की पालना सुनिश्चित की जायेगी । सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

31/5/2020
(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

क्रमांकः– :– मुख्या/कार्मिक/प्रशा.सु./2020/128 दिनांकः 31.05.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रापनि, मु. जयपुर
3. समस्त महा प्रबन्धक ( ),रापनि,........................
4. उप महा प्रबन्धक ( ), रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
6. समस्त कार्यकारी प्रबन्धक ( ),रापनि,..........................
7. प्रभारी केन्द्रीय कंट्रोल रूम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
8. समस्त जोनल मेनेजर, राजस्थान परिवहन निगम,..................................
9. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,राजस्थान परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला,..................
10. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (प्रशासन/संचालन/वित्त/यातायात) रापनि राजस्थान
11. आदेश पत्रावली ।

31/5/2020
(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner